न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, बुलन्दशहर
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2944/2026

श्रीकान्त पुत्र जगवीर सिंह, निवासी ग्राम कौठरा कुरैना, थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मु.अ.सं. :–300/2024
अंतर्गत धारा :–147, 148, 307, 341, 325, 504, 506/34 भा.दं.सं.
थाना :–जहांगीराबाद
जिला :–बुलन्दशहर

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक–01.06.2026

यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त श्रीकान्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित सत्र वाद संख्या–3237/2025, राज्य बनाम लाखन सिंह में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत के बिन्दुओं पर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त वाद में जमानत पर था। आवेदक बीमार हो गया, जिस कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका और उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र व 82 दं.प्र.सं. की कार्यवाही जारी कर दी गयी। आवेदक ने दिनांक–27.05.2026 को न्यायालय में उपस्थित हुआ और वारण्ट रिकॉल कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अभियुक्त को जिला कारागार भेज दिया गया। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है और फिर से जमानत पर अवमुक्त करने पर उसका फरार होने के आन्देशा है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जमानत पर था। उसके पश्चात अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक–18.04.2026 से गैर जमानती अधिपत्र व दिनांक–19.05.2026 से धारा–82 दं.प्र.सं. की कार्यवाही जारी हो गयी। अभियुक्त द्वारा दिनांक–27.05.2026 को वारंट रिकॉल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसे धारा–309 दं.प्र.सं. के अधीन न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार प्रेषित किया गया, तभी से अभियुक्त जिला

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR
Date: 2026.06.01 04:45:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का यथोचित आधार प्रकट होता है। अतः प्रकरण के गुण–दोष पर जाये बिना अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **श्रीकान्त** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु. 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो नवीन प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्न शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्त इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे कि वह प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा प्रस्तुत वाद के शीघ्र–अति–शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के अपना पता परिवर्तित नहीं करेगा और न ही कहीं बाहर जायेगा तथा अपना निवास स्थान परिवर्तित किये जाने की दशा में न्यायालय को अवगत करायेगा।

(धीरेंद्र कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.1,
बुलन्दशहर।
J.O. Code no. UP 6145
01.06.2026

Gagandeep–Steno